बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस–विज्ञप्ति

विभागीय संकल्प सं०–608(2), दिनांक–24.05.2021 द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के फ्लोटिंग पदों पर 02 (दो) वर्ष के लिये संविदा नियोजन हेतु सूचना।

विभागीय संकल्प सं०–608(2), दिनांक–24.05.2021 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से नव उत्तीर्ण एम०बी०बी०एस० अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की सेवा में संविदा पर नियोजन हेतु चिकित्सक के 2580 फ्लोटिंग पदों का सृजन किया गया है। तदालोक में पहले चरण में 1290 फ्लोटिंग पदों के विरूद्ध वर्ष 2020 में एम०बी०बी०एस० उत्तीर्ण एवं इन्टर्नशिप पूर्ण किये हुये इच्छुक छात्रों को राज्य सरकार की सेवा में 02 (दो) वर्षों के लिए सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर संविदा पर नियोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. संविदा नियोजित ऐसे चिकित्सकों द्वारा 02 (दो) वर्ष की सेवा देने के फलस्वरूप आगामी वर्ष में इनके स्नातकोत्तर में नामांकन हेतु इन्हें Weightage का लाभ मिल सकेगा, जो इनके स्नातकोत्तर के नामांकन में सहायक भी होगा। इसके अतिरिक्त इसके पश्चात जो चिकित्सक शेष रह जायेंगे, वे नियमित नियुक्ति के माध्यम से सरकारी सेवा में आ सकते है।

3. तद्नुसार राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से वर्ष 2020 में एम०बी०बी०एस० उत्तीर्ण एवं इन्टर्नशिप पूर्ण किये हुये छात्रों को राज्य सरकार की सेवा में 02 (दो) वर्ष के लिये सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर संविदा पर नियोजित किये जाने हेतु Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

4. नियोजन हेतु रिक्ति/मानदेय एवं शर्तें।

(क) रिक्तियों की सूची निम्नवतः है।

कोटि	कोटिवार रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
अनारक्षित	516	181
अनुसूचित जाति	206	77
अनुसूचित जनजाति	13	04
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	232	85
पिछड़ा वर्ग	155	52
पिछड़े वर्गों की महिला	39	00
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	129	38
कुल योग	**1290**	**437**

नोटः–

(i) स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए आरक्षित (2%) के अनुसार कुल पदों की सं०–26

(ii) दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित (4%) के अनुसार कुल पदों की सं०–52 (दृष्टि दिव्यांगता–13, मूक बधिर दिव्यांगता–13, चलन दिव्यांगता–13 एवं मनोविकार दिव्यांगता–13)

(ख) मानदेय— रूपया 65,000/— (पैसठ हजार) प्रति माह

(ग) शर्त्ते।

(i) संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को हीं देय होगा। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

(ii) आवेदक **Document verification** के समय अपने साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(iii) उपरोक्त चयन हेतु Document verification का आयोजन की तिथि एवं स्थल से संबंधित सूचना बाद में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

(iv) चयन का आधार मेधा क्रमांक होगा जो एम०बी०बी०एस० में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगा।

(v) चयनोपरांत पदस्थापन संबंधी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन संबंधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(vi) विस्तृत विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग के **वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/health के Recruitment Section** पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

5. आवेदन की प्रक्रिया।

(क) आवेदन पत्र विहित्र प्रपत्र में On-line स्वीकार किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/health** के **Recruitment Section** पर जाकर दिनांक—**15.09.2021** के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक—**30.09.2021** के अपराह्न 11:59 बजे तक Upload किया जा सकता है। आवेदक Website पर दिये गए निर्देशों के अनुसार ID generate करने के उपरांत Form पूरी तरह भरकर Submit करेंगे।

(ख) आवेदक On-line आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का E-Mail/Form Print Out के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं अनापत्ति प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो) Counselling के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

1225 (2)
09/09/2021

(शैलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।